बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–6/प्राक्क01–1153/2024-1336 पटना–15, दिनांकः–4/08/25

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः–सुपौल जिलान्तर्गत भू–जल स्तर में गिरावट एवं लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गाँवों के 318 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल के उपयोग से 27 MLD (पार्ट–I) एवं 4 MLD (पार्ट–II) क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पांच वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 320.1001 करोड़ रूपये (तीन अरब बीस करोड़ दस लाख एक हजार रूपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के तहत भू–जल स्तर में गिरावट एवं लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गाँवों के 318 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल के उपयोग से 27 MLD (पार्ट–I) एवं 4 MLD (पार्ट–II) क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पांच वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 320.1001 करोड़ रूपये (तीन अरब बीस करोड़ दस लाख एक हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई है।

2. सुपौल जिलान्तर्गत भू–जल स्तर में गिरावट एवं लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड के 23 पंचायत के 63 गाँवों के 318 वार्डों में अधिष्ठापित नलकूप का डिस्चार्ज भू–जल स्तर के गिरावट के कारण भविष्य में कम होने की संभावना है। साथ ही इन पंचायतों में भू–जल में आयरन की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पायी जाती है।

उपर्युक्त कारण से **"हर घर नल का जल"** योजना अंतर्गत निर्मित वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना (WLS) से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति में कठिनाई हो रही है।

इन वार्डों में पेयजलापूर्ति की सतत् एवं दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल के उपयोग से 27 MLD (पार्ट–I) एवं 4 MLD (पार्ट–II) क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है।

3. इस योजना के अंतर्गत इनटेक स्ट्रक्चर पार्ट–I एवं पार्ट–II, तथा 27 MLD (पार्ट–I) एवं 4MLD (पार्ट–II) क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट, मास्टर/जोनल इलिवेटेड सर्विस रिजरवायर, क्लीयर वाटर अंडरग्राउंड रिजरवायर, पम्पिंग सेट का अधिष्ठापन, पाईप लाईन बिछाने का कार्य, विद्युत संयोजन कार्य एवं ट्रासफार्मर अधिष्ठापन, अप्रोच रोड निर्माण आदि का कार्य मुख्यतः किया जाना है।

योजना के पूर्ण एवं चालू होने के उपरान्त 3 माह की ट्रायल रन अवधि समाप्त होने के पश्चात् योजना का संचालन एवं रख–रखाव का कार्य अगले 5 (पाँच) वर्षों तक क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ही कराया जाना है, जिसके व्यय हेतु राशि का प्रावधान योजना की कुल प्राक्कलित राशि 320.1001 करोड़ रूपये (तीन अरब बीस करोड़ दस लाख एक हजार रूपये) मात्र में शामिल है। इस PFR योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता, रूपांकण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त है। इस योजना का निर्माण कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

4. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष– 102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0132– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215–01–102–0132, मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0114–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215–01–789–0114, मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215–01–796–0119 अंतर्गत भारितव्य होगा तथा योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय (ii) बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम–उपशीर्ष–0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–36–2215–01–102–0107 अंतर्गत भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सुपौल होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक

सीमित रहेगा। राशि की निकासी सुपौल कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में क्रमशः प्रत्येक माह में कम–से–कम दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

16. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी।

17. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–6 / प्राक्क01–1153 / 2024–1336 दिनांकः–4/08/25

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग, बिहार / जिला पदाधिकारी, सुपौल / कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय / कार्य प्रबंधन) / संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन, पटना / प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार / मुख्य अभियन्ता (उत्तरी / दक्षिणी बिहार) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / बजट पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2, पटना / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–02)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 / कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6 / आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)